कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)
//टेन्ट, लाइट, एवं साउण्ड व्यवस्था हेतु दरे निर्धारित करने हेतु सीमित निविदा//

क्रमांक क/ 590 /जिला.निर्वा./उप.निर्वा/2020/ गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 8/10/2020

गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में वर्ष 2020 में सम्पन्न होने वाले विधान सभा उप निर्वाचन, 2020 क्षेत्र क्रमांक 24 मरवाही (अजजा) में टेन्ट, लाइट एवं साउण्ड व्यवस्था हेतु दरे निर्धारित करने बाबत इच्छुक निविदाकारों/फर्मो से मोहरबंद निविदाऐं निहित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, शर्ते एवम उसके संबंध में विस्तृत विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय, शासकीय गुरूकुल विद्यालय, पेण्ड्रारोड गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही से आवेदन प्रस्तुत कर रूपये–200–00 (रूपये–दो सौ) नगद भुगतान कर, जिसकी रसीद प्रदाय की जावेगी, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

1– निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि–	15 अक्टूबर 2020 को अपरान्ह 03.00 बजे तक
2– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि–	16 अक्टूबर 2020 को अपरान्ह 03.00 बजे तक
3– निविदा खोलने की अंतिम तिथि–	16 अक्टूबर 2020 को अपरान्ह 04–00 बजे से जिला निर्वाचन कार्यालय, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के कक्ष में, क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी।

<u>निविदा की प्रमुख शर्ते</u> –

1– निविदा लिफाफे के ऊपर विधानसभा उप निर्वाचन, 2020 के लिये ''टेन्ट, लाइट एवं साउण्ड व्यवस्था हेतु निविदा'' अंकित करना होगा ।

2– टेन्ट, लाइट एवं साउण्ड व्यवस्था हेतु निविदा दरें संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार प्रस्तुत करनी होगी , अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3– निविदाकार वर्ष 2020 में अनुमोदित दर पर टेन्ट, लाइट एवं साउण्ड व्यवस्था हेतु बाध्य होगा। छत्तीसगढ़ शासन, भण्डार क्रय नियम 4.4.3 के अनुसार बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

4– नियम 4.6.1 के अनुसार निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एण्ड टी विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा अथवा निर्धारित टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी अथवा उप–जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।

5– नियम 4.6.4 के अनुसार निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा–पत्र, तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।

6– नियम 4.6.5 के अनुसार जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी।

Scanned with CamScanner

7– नियम 4.7 के अनुसार प्रत्येक निविदा के साथ टेन्ट, लाइट एवं साउण्ड व्यवस्था पर होने वाले अनुमानित व्यय का कम से कम 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाएगी । अतः होने वाले अनुमानित व्यय के अनुसार सुरक्षा निधि रूपये 20,000–00 निर्धारित की जाती है।

8– नियम 4.8 के अनुसार निविदाकार को यह सुरक्षा निधि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छ.ग. के नाम से देय हो, जमा करना होगा।

9– नियम 4.9 के अनुसार केवल वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्म / निविदाकार निविदा जमा कर सकते हैं तथा वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र, जहां पर वाणिज्य कर पंजीयन आवश्यक हो, की प्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। इसके अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण–पत्र, भी संलग्न करना होगा। साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि, निविदाकार का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह मांग अनुसार सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छ.ग. को प्रदाय करेगा। यदि निविदाकार का संस्थान गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही से बाहर स्थित हो तो स्वीकृत निविदाकार को उसका स्थानीय संपर्क कार्यालय गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में रखते हुए मांग अनुसार सामग्री की पूर्ति /व्यवस्था तत्काल करनी होगी ।

10– नियम 4.10 के अनुसार निविदाकार के व्यापारिक संस्थान का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, उप–जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छ.ग. द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी/ कर्मचारी को होगा।

11– नियम 4.11 के अनुसार प्राप्त निविदाएं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के द्वारा अधिकृत समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदाएं खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जो निविदाकार/प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए जाएंगे।

12– समय–सीमा में मांग अनुसार पूर्ति/व्यवस्था नहीं कर सकने की दशा में स्वीकृत निविदा निरस्त करते हुए अन्य निविदाकार अथवा किसी सक्षम वेण्डर से कार्य कराने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छ.ग. को होगा। तथा निविदाकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार सामग्री सूची ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

tender GPM all 2020 up nirwachan

Scanned with CamScanner